E-newsletter
december- 2016

MUNICIPAL COUNCIL JHUNJHUNU

Municipal Council Jhunjhunu

E-newsletter/november 2016

Municipal Council Jhunjhunu

झुन्झुनू नगर राजस्थान के उत्तर–पूर्वी भाग का एक जिला मुख्यालय है जो राज्य राजमार्ग–8 (सीकर–लोहारू), राज्य राजमार्ग–41 (फतेहपुर–राजगढ़) एवं राज्य राजमार्ग–37 (चौमू से चूरू वाया श्रीमाधोपुर) पर स्थित है। यह शेखावाटी क्षैत्र का एक महत्वपूर्ण नगर है जो राज्य की राजस्थानी जयपुर से 185 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह नगर 'प्रथम' श्रेणी की नगर परिषद है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झुन्झुनू नगर की जनसंख्या 118966 है।

यहां उत्तर–पश्चिमी रेल्वे का स्टेशन है जो जयपुर, सीकर, चूरू व लोहारू से मीटर गेज रेल लाई (जिसके ब्रोडगेज में परिवर्तन का काम प्रगति पर है) से जुड़ा हुआ है। यह नगर आस पास के अन्य महत्वपूर्ण नगरों यथा सीकर, नगवलगढ़ चिड़ावा, मण्डावा, फतेहपुर, चूरू, लोहारू एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रामों से सड़क मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। यह माध्य समुद्र तल से लगभग 338 मीटर की ऊँचाई पर $28^0 8'$ उतरी अक्षांश एवं $75^0 24'$ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

झुन्झुनू राजस्थान के शेखावाटी क्षैत्र का एक महत्वपूर्ण नगर है। प्रारम्भ में शेखावाटी एवं आस पास के अन्य राज्यों के साथ इस नगर में 1450 ई. से 1729 ई. तक चौहान राजपूतों का शासन रहा था। तद्उपरान्त शेखावाटी के अन्य नगरों की तरफ यह नगर भी मुगल शासकों के अधीन रहा। वर्ष 1730 के आजादी से पूर्व तक यह नगर जयपुर रियासत के अधीन एक निजामत थी। वर्ष 1949 में जयपुर रियासत के वृहद् राजस्थान में विलय होने के कारण झुन्झुनू को जिला बनाया गया। दिल्ली और बीकानेर के मध्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यह नगर व्यापार एवं प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है।

झुन्झुनू नगर में वर्ष 1924 में मीटर गेज रेल लाईन (जिसके ब्राडगेज में परिवर्तन का कार्य हो रहा है) पर रेल्वे स्टेशन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में जयपुर, लोहारू इत्यादि नगरों को जाने वाली ट्रेनो का यहां ठहराव है। नगर में रेल्वे स्टेशन के पास हवाई पट्टी स्थित है। जबकि निकटतम हवाई अड्डा 120 कि.मी. दूर हिसार में स्थित है। जो हरियाणा राज्य में आता है।

नगर परिषद के कार्यः–

1. मुख्य नगरपालिक कृत्य.– (1) प्रत्यके नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वह अपने नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों के लिए युक्तियुक्त उपबंध और समुचित व्यवस्था करे, अर्थात्:–

भाग 4 (क) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 9 (75)

(क) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, जल–निकास और मल–वहन, सावर्ज निक मार्गो, स्थानों तथा मलनालियों और ऐसे स्थानों, जो निजी सपंति नही हों और जो जनता के उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थान नगरपालिका मे निहित हों या नही, की सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति को हटाना और सभी लाके न्यूसेंसों को समाप्त करना;

(ख) गदंगी, कूड़ा करकट, विष्ठा, दुर्गन्ध या किसी भवन या भवनों में या उनसे सबंधित शौचालयों, तहारतों, मूत्रालयों, मलकूपों या ऐसे पदार्थों को डालने के लिए अन्य सामान्य पात्रों से किसी अन्य हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ को हटाना;

(ग) सार्वजनिक मार्गो, स्थानो और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना;

(घ) आग बुझाना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की संरक्षा करना;

(ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों को विनियमित करना;

(च) सार्वजनिक मार्गों या स्थानों तथा उन जगहों में, जो निजी सम्पत्ति नही है और जो जनता के उपयागे के लिए खुली हैं, चाहे ऐसी जगहें नगरपालिका में निहित हों या न हो, बाधाओं तथा बहिर्गत भागों को हटाना;

9 (76) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)

(छ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना ;

(ज) मृतकों तथा मृत जानवरों के शवा ें के निर्वतर्न के लिए स्थानों का अर्जन, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा विनियमन करना;
(झ) सावर्ज निक मार्गों, पुलियाओं, नगरपालिक सीमा चिह्नों, बाजारों, वधशालाओं, नालियो, ं मलनालियों, जलनिकास सकं र्मों, मलनाली सकं र्मों, स्नानागारों, धोने के स्थानों, पये –जल स्रोतों, तालाबों, कुंओं, बांधों और तत्समान अन्य सकंर्मों का निर्माण करना, उनमें परिर्वतन करना तथा उनका अनुरक्षण करना;
(ञ) सार्वजनिक तहारतों, शौचालयों, और मूत्रालयों का निर्माण करना;
(ट) मार्गों का नामकरण आरै घरों का सख्ंयाकं न करना;
(ठ) जन्म और मृत्यु का पजीकरण करना;
(ड) नगरपालिका के भीतर ऐसे कुत्तों के परिराध और परिरक्षण के लिए व्यवस्था करना, जिनके सबंध में इस अधिनियम की धारा 249 के अधीन कार्रवाई की जानी है;
(ढ) इस अधिनियम के प्रयाजेनों के लिए या किसी नगरीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नगरपालिका द्वारा यथा–अपेक्षित पुलिस अधिकारियों के मद्धे वेतन का और उनके आकस्मिक व्यय का भुगतान करना और ऐसा स्थान उपलब्ध कराना जो
भाग 4 (क) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 9 (77)
पुलिस से सबंधित प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाये;
(ण) व्यक्तियों की संरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा आरै लाके सुरक्षा के सबंध में ऐसे कृत्य और कर्तव्य, जो विहित किये जायें, करने के लिए स्वयंसेवी बल का गठन करना;
(त) विष्ठा और कड्डाकरकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए व्यवस्थाए ं करना;
(थ) काजी हाउस स्थापित करना और उनका रख–रखाव करना;
(द) जनसख्ंया नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देना;
(ध) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाए ं तैयार करना;
(न) सडकों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल, दोनो के लिए परिवहन टर्मिनलों, पुलों, ओवर–ब्रिजों, सब–वे, फेरीज के निर्माण और रख–रखाव सहित सचांर प्रणाली और आन्तरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना;
(प) यातायात अभियात्रिकी याजे नाओं, मार्ग–फर्नीचर, पार्किंग क्षेत्रो ं और बस स्टॉप सहित परिवहन प्रणाली उपागं तैयार करना;
(फ) मानव बस्ती के लिए नये क्षेत्रों के याजे नाबद्ध विकास के लिए व्यवस्था करना;
9 (78) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)
(ब) उद्यान एव ं झरने स्थापित करके, मनोरजं न क्षेत्रों की व्यवस्था करके, नदी के किनारों को संवार कर और भ–ू दृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिए उपाय करना;
(भ) समुदाय के लिए महत्वपर्णू आकंड़ों और डाटा का सग्रह करना;
(म) जिला या क्षेत्रीय विकास योजना, यदि कोई हो, के साथ नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं और स्कीमों को समेकित करना;
(य) शैक्षणिक, खले सबधंी और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना; (यक) नगरपालिका के वित्त और उसके द्वारा हाथ में लिए गये विकास कार्य आरै अन्य गतिविधिया ें के बारे में तात्विक और महत्वपर्णू सूचनाए ं हितधारकों और आम जनता का े प्रकट करना; (यख) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना; और (यग) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा–उपबधित अन्य कानूनी या
नियामक कृत्यों का पालन करना।
(2) नगरपालिका अपनी प्रबन्धकीय, तकनीकी, वित्तीय और सगं ठनात्मक क्षमता और नगरीय क्षेत्र म ें विद्यमान वास्तविक दशाओं को भाग 4 (क) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 9 (79)
ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त में से किन्ही ं कृत्यों को नही ं करने, या उनकी पालना को स्थगित करने का विनिश्चय कर सकेगी।
(3) राज्य सरकार नगरपालिका को यथापूर्वोक्त में से किन्ही ं कृत्यों का, यदि ऐसे कार्य का जिम्मा नगरपालिका द्वारा नही ं लिया गया है या उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया है, पालन करने का निदेश दे सकेगी।

(4) नगरपालिका यथापूर्वोक्त कृत्यों मे ं से किसी के भी निर्वहन के लिए अपेक्षित अवसरचंना की, या तो स्वयं या धारा 154 में निर्दिष्ट करार के अधीन किसी भी अभिकरण के माध्यम से, योजना बना सकेगी, उसका सन्निर्माण, प्रर्वतन, रख–रखाव या प्रबधं कर सकेगी।

2. अन्य नगरपालिक कृत्य.– नगरपालिका अपने मुख्य कृत्यों, जो नगरपालिक निधि पर प्रथम प्रभार होगे के संतोषप्रद निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और अपनी पब्रधंकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित में से किन्ही ं भी कृत्यों का जिम्मा ले सकेगी, उनका निष्पादन कर सकेगी या उनके निष्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगी, अर्थात्:–

(प) पर्यावरण सरं क्षण के क्षेत्र में

(क) बजंर भूमियों को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी को प्रोन्नत करना और खुले स्थानों का रख–रखाव करना;

(ख) पौधों, सब्जियों और वृक्षों के लिए पौधशालाओं की स्थापना और रख–रखाव और जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली की वृद्धि;

(ग) पुष्प–प्रदर्शनिया ें का आयाजे न और नागरिक संस्कृति के रूप में फलू उगाने को बढ़ावा देना और

9 (80) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)

(घ) प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना।

(पप) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र मे–

(क) सक्रांमक बीमारियों के उन्मलू न के लिए जन टीकाकरण अभियान;

(ख) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार;

(ग) सभी सार्वजनिक तालाबों का रख–रखाव और सभी निजी तालाबों, कुओं और जलापूर्ति के अन्य स्रोतों के पुर्न उत्खनन, मरम्मत और रख–रखाव का ऐसी शर्तो ं और निबधंनों पर, जिन्हें नगरपालिका ठीक समझे, विनियमन; और

(घ) प्रवचनों, सेमीनारों और सम्मलेनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की नागरिक चेतना की प्रोन्नति;

(पपप) शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में

(क) नागरिक शिक्षा, प्राढै शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति;

(ख) सगीत, शारीरिक शिक्षा, खले कदू और थियटेर सहित सांस्कृतिक क्रियाकलापों की और उनके लिए अवसंरचना की प्रोन्नति;

(ग) नगरीय जीवन में विज्ञान आरै प्राद्यैागिकी की अभिवृद्धि;

(घ) नगरपालिक पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं और स्मारिकाओं का प्रकाशन, पुस्तकों का क्रय और पत्रिकाओं, मेगजीनों और समाचार पत्रों का ग्राहक बनना;

भाग 4 (क) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 9 (81)

(ङ) समुचित रीति से मूर्तिया, चित्र और तस्वीर स्थापित करना;

(च) कला–दीर्घाओं और वानस्पतिक या प्राणी सग्रंहों की व्यवस्था, स्थापना और रख–रखाव;

(छ) ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य महत्व के स्थानोंऔर संस्मारकों का परिरक्षण और रख–रखाव; आरै

(ज) सावर्जनिक पुस्तकालयों, सग्रहालयों, वाचनालयों, पागलखानों, सभा–भवनों, कार्यालयों का सनिर्माण, स्थापना, रख–रखाव करना या रख–रखाव में योगदान करना; ;पअद्ध लाके कल्याण के क्षेत्र में

(क) सखूा, बाढ़, भकूम्प या अन्य प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी आपदाओ के समय आश्रयों की स्थापना और रख–रखाव आरै नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निराश्रित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य;

(ख) अस्पतालों, औषधालयों, आश्रयो, उद्धार गृहों, प्रसूति गृहों और बाल कल्याण केन्द्रों का सनिर्माण या रख–रखाव या उनकी सहायता के लिए प्रावधान;

(ग) बेघरों के लिए आश्रयों का प्रावधान;

(घ) हाथ–सफाई कर्मियों और उनके परिवारों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए कायर्क्रमों का क्रियान्वयन;

(ङ) सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक श्रम की व्यवस्था और स्वैच्छिक सगंठनों के क्रियाकलापा ें का समन्वय; और

9 (82) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)

(च) ऐसी सूचना के प्रसार के लिए अभियान, जो लोक कल्याण के लिए महत्वपर्णू हो; और

(अ) सामुदायिक सबंधां ें के क्षेत्र में

(क) विशिष्ट व्यक्तियों का नागरिक सम्मान और ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देने
(ख) मेलों और प्रदर्शनियो की व्यवस्था और प्रबधं करना;और
(ग) लोकहित की सूचना का प्रसार।

अमृत योजना :–

Major Projects in each city (AMRUT YOJANA)

अमृत योजना में झुन्झुनू नगर परिषद द्वारा आवश्यक सूचनाऐं Service Level Improvement Plan (SLIP) ds Format esa RUDSICO को उपलब्ध करवा दी गई थी, तथा तदानुसार State Annual Action Plan (SAAP) में शामिल करते हुए यह योजना नगर परिषद झुन्झुनू हेतु स्वीकृत हो गई है उक्त योजना में निम्न कार्य करवाये जाने है–

S.No.	***Name of work***	***Sanctioned Amount***
1	Water Supply	Under RUIDP Phase III
2	Sewerage and Septage management	Sewerage Under RUIDP Phase III + Rs. 10 Crore for Septage Management
3	Storm Water Drainage	-
4	Urban Transport	-
5	Green space and parks	2.5 cr.

Water Supply तथा Sewerage and Septage Management के कार्य RUIDP Phase III esa Asian Development Bank के सहयोग से करवाऐ जाने हेतु स्वीकृत हो गये है तथा निविदाऐं आमत्रित कर ली गई है, जिसमें आवश्यक कार्यवाही RUIDP के स्तर से की जा रही है।

Green Space and Parks की डीपीआर 6.5 करोड़ प्रस्तुत करने पर 2.5 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। Storm Water Drainage o Green space and parks की तैयार करने हेतु नगर परिषद झुन्झुनू द्वारा Consultant हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गई जिसमें सबसे कम दर प्रदान करने वाली मैं केडकोन कन्सलटेन्ट प्रा.लि. जयपुर को बाद नेगोशियेसन प्रोजेक्ट लागत का 0.45 प्रतिशत+सर्विस टैक्स दर स्वीकृत कर कार्यादेश दिनांक 30.12.2015 को जारी कर दिये गये थे। जिनकी DPR दिनांक 25.04.2016 को State Level Technical Committee के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई जिसमें चर्चा अनुसार कुछ परिवर्तन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

Urban Transport की DPR निदेशालय स्तर से तैयार होनी प्रस्तावित है।

02 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2016 की अवधि में विशेष स्वच्छ नगर अभियान :–

नगरपरिषद् कार्यालय आदेश कमांक नपझु/एसबीएम/2016–17/7081 दिनांक 26.09.2016 के द्वारा वार्ड वाईज कलस्टर तैयार कर विशेष स्वच्छ नगर अभियान चलाया गया। जिसमे सफाई कार्य के साथ साथ विशेष स्वच्छ भारत मिशन थीम का दिनांकवार आयोजन किया गया। जिसमें अन्तर्गत शहर में जनप्रतिनिधियों/जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी एवं आम जन के साथ शहर में कतिपय स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया।

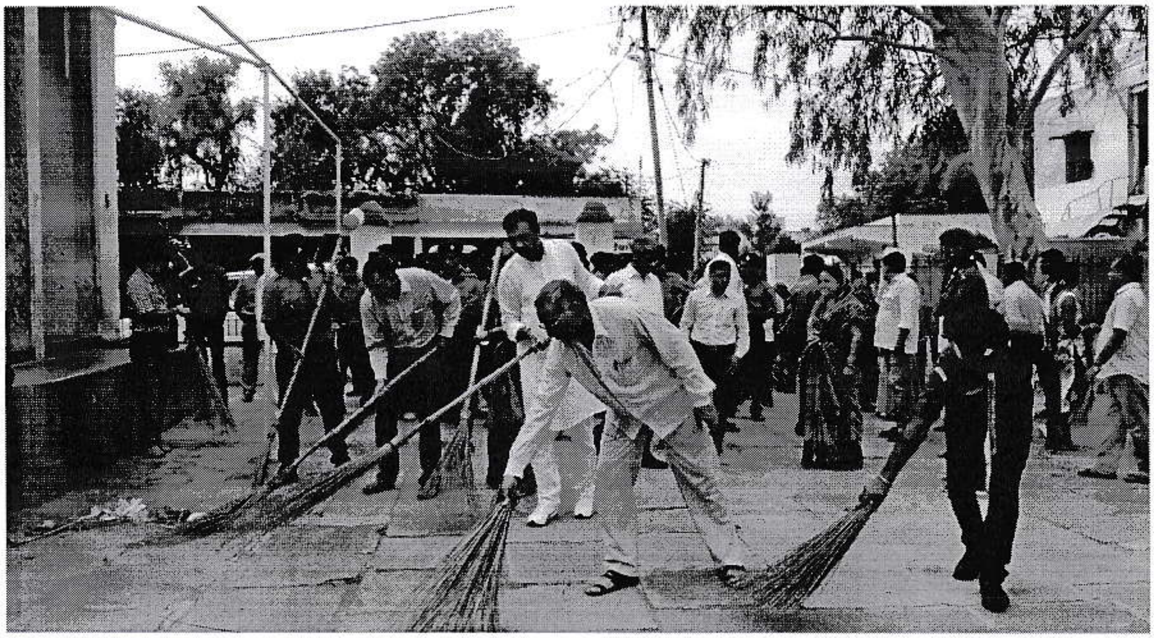

विशेष सफाई थीम ड्राईव अन्तर्गत विधार्थियों को सफाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए विधालयों में निम्न प्रतियोगिताए करवाई गई।

निबन्ध प्रतियोगिता

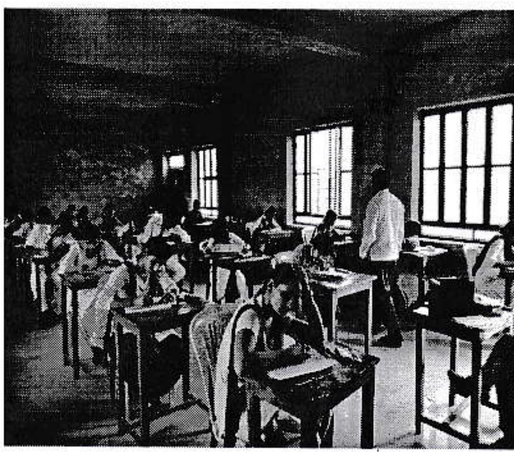

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

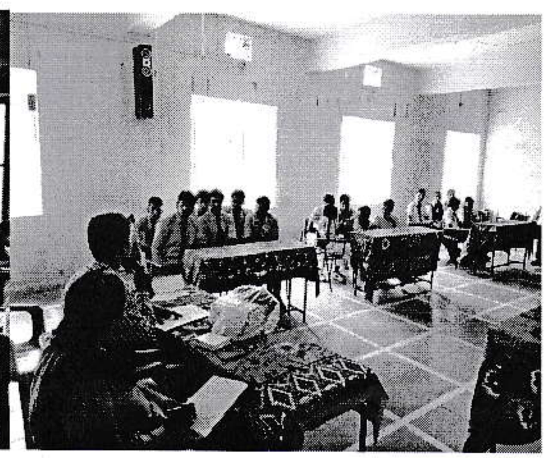

रंगोली प्रतियोगिता

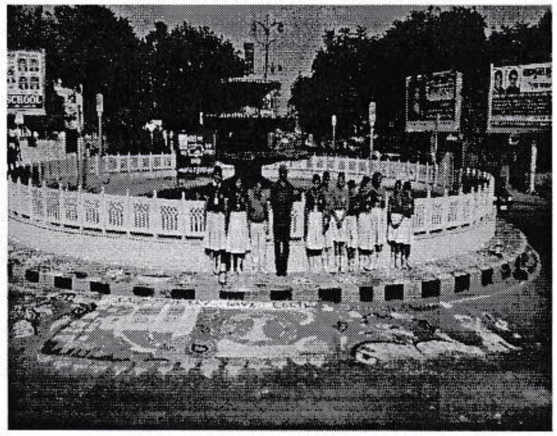

चित्रकला प्रतियोगिता,

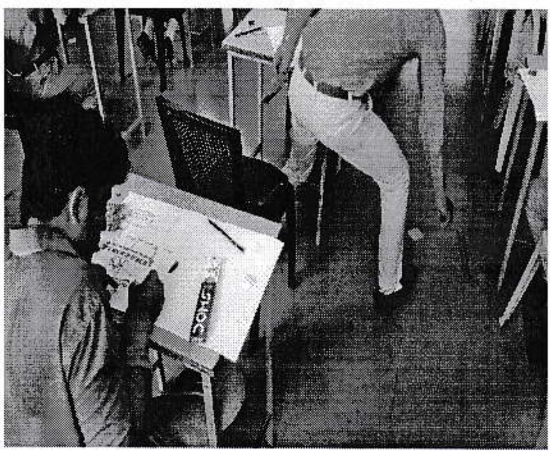

मॉडल प्रतियोगिता

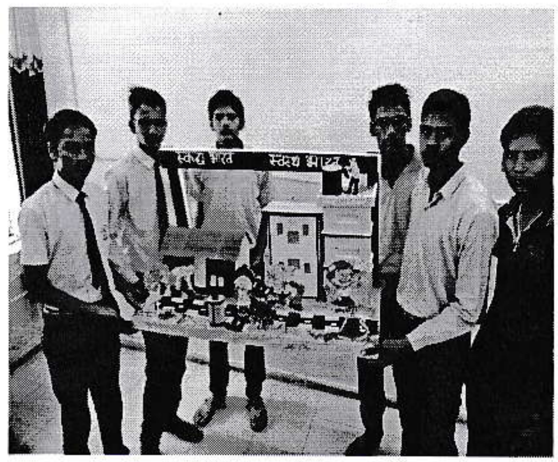

कठवुतली कार्यक्रम

उक्त प्रतियोगिताओं में विजेता रहे विधालयों को प्रोत्साहित करते हुए नगरपरिषद् द्वारा सम्मानित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (SMB):–

राज्य सरकार द्वारा दिये गये टारगेट अनुसार कुल 2719 परिवारों के व्यक्तिगत घरेलु शौचालय का निर्माण वर्ष 2019 तक करवाया जाना हैं के कम में आज दिनांक तक व्यक्तिगत घरेलु शौचालय हेतु 2091 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं एवं कुल 1774 आवेदन पत्र ऑनलाईन वेरिफाई किये जा चूके हैं। कुल 1671 व्यक्तियों को प्रथम किस्त राशि 4000/– रूपये प्रदान की जा चूकी हैं। आज दिनांक तक कुल 694 व्यक्तिगत घरेलु शौचालय की (निर्मित एवं निमार्णाधीन) फोटो ऑनलाईन अपलोड की जा चूकी हैं। कुल 450 परिवारों द्वारा व्यक्तिगत घरेलु शौचालयों का निर्माण कर लिया गया हैं। की फोटो अपलोड की जा चूकी हैं।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 03 सामुदायिक शौचालयो का एवं 05 सार्वजनिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। 08 स्थानों का चयन कर निविदा जारी कर दी गई थी एवं 07 का कार्योदेश जारी किये जा चुके है। एक स्थान के लिए पुनः निविदा जारी किया जाना विचाराधीन है तथा 2 कम्यूनिटी टायलेट(वाल्मिकी बस्ती, लाल पहाड़ी) एवं 4 पब्लिक टायलेट (बीडीके हास्पिटल, कलक्ट्रेट, खेमी सती मन्दिर, कर्नल जेपी जानू स्कूल) का पूर्ण हो गया हैं। मोहल्ले वासियो के विवाद के कारण अन्य स्थान चिन्हित कर शेष का कार्य प्रारम्भ करवाया जाना प्रस्तावित है। कुल 4 पब्लिक एवं कम्यूनिटी टायलेट के निर्माण की फोटो भी एसबीएम की वेबसाईट पर अपलोड की जा चूकी हैं।

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत सोलिड वेस्ट मनेजमेन्ट की निविदा प्रक्रिया स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर स्तर पर पूर्ण की जाकर दर स्वीकृत हो चूकी हैं। शीघ्र ही नगरपरिषद् स्तर पर एलओए किया जाकर प्लान्ट हेतु देरवाला के पास प्रस्तावित स्थल/भूमि उपलब्ध कराने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर

महोदय झुन्झुनूं को प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जायेगा।"

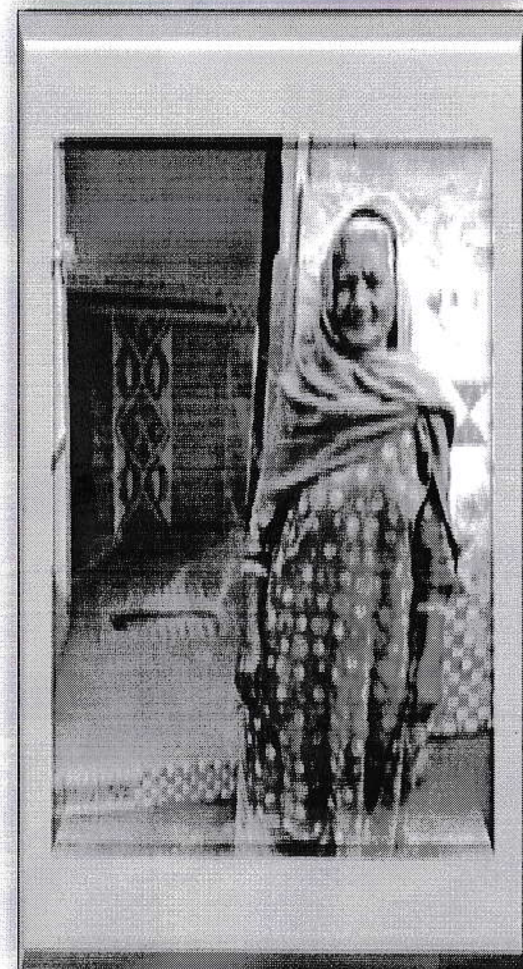

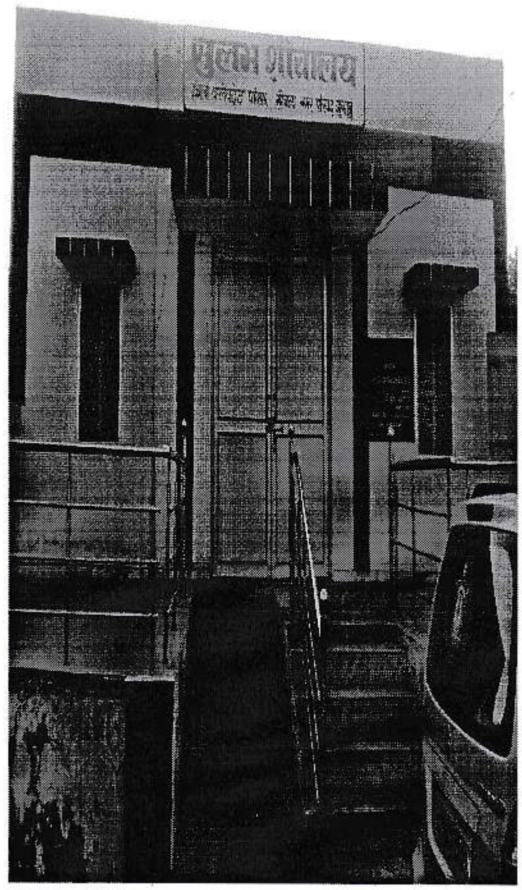

स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 :–

स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अन्तर्गत नगरपरिषद् झुन्झुनूं द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय बैठाकर दिनांक 06.08. 2016 को जिला स्तरीय विडियों कान्फ्रेंस सह कार्यशाला का आयोजन एनआईसी सेन्टर झुन्झुनूं में करवाया गया। जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण एवं मिडिया ने भाग लिया। उक्त कार्यशाला में निर्धारित कार्यक्रमवार स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 हेतु अधिशाषी अभियन्ता नगरपरिषद् झुन्झुनूं को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। झुन्झुनूं क्षेत्र में स्थित विधालय एवं महाविधालयों में स्वच्छता एप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई हैं साथ निर्वाचित सदस्यगणों, सफाई ठेकेदारों एवं कार्यालय कार्मिकों को भी स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चूका हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के होर्डिंग्स एवं असली तरक्की के होर्डिंग्स शहर में मुख्य स्थानों पर लगवाये गये हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ सर्वेक्षण की जानकारी शहर वासियों को उपलब्ध हो सकें।

ओ.डी.एफ. झुन्झुनूं :–

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाये जाने का मुख्य उद्देश्य शहर को खुले से शौचमुक्त करना हैं। हमने कई स्थानो पर देखा हैं कि आज भी आम जन घर में शौचालय का उपयोग न कर खुले में शौच के

लिए जाता हैं। झुन्झुनूं शहर पुरे भारत में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थानों में से जाना जाता हैं। फिर भी हम अपने शहर को आज दिनांक तक ओ.डी.एफ. यानि खुले से शौच मुक्त वार्ड घोषित नहीं कर पाये हैं। इसके लिए नगरपरिषद् द्वारा कुल 1671 व्यक्तियों को व्यक्तिगत घरेलु शौचालय बनाने हेतु 4000/— रूपये प्रदान किये हैं। सर्वे से पता चला हैं कि उक्त में से आज दिनांक तक 40 प्रतिशत व्यक्तियों ने आज तक अपने घरों में शौचालयों का निर्माण नहीं करवाया हैं। झुन्झनूं शहर में अभी तक वार्ड संख्या 7,9,10,11 व 38 इस प्रकार कुल 5 वार्डो को खुले से शौचमुक्त घोषित किया हैं। अभी 40 वार्ड करने बाकी हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधियों के सहायता के बिना किये जाने सम्भव नहीं हैं। अतः जिन परिवारों ने आज दिनांक तक शौचालय नही बनवाये हैं उन्हे जागरूक करने के लिए मिलकर प्रयास किये जायें ताकि झुन्झुनूं शहर खुले से शौच मुक्त शहर बन सकें।

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत संसाधन :—

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए उच्चतम तकनीक अपनाने की जरूरत हैं। शहर साफ सुथरा एवं सुन्दर रहे इस हेतु नगरपरिषद् द्वारा नये संसाधन क्रय किये गये जिसमें एक जे0सी0बी0, 1 काम्पेक्टर, 1 ऑटोटीपर बिन लिफ्टर, 200 नग कचरा पात्र क्रय किये गये। वित्तिय वर्ष 2016—17 में किये गये सफाई ठेकों में भी नई सोच को साथ रखकर समस्त सफाई ठेकेदारों को घर धर कचरा संग्रहण हेतु आटो टीपर रखने हेतु पाबन्ध किया गया। जिससे अनुकुल प्रभाव प्रायतः देखने को मिले हैं। इसी के साथ आगामी वर्ष में भी आवश्यकतानुसार संसाधन क्रय किये जायेंगे।

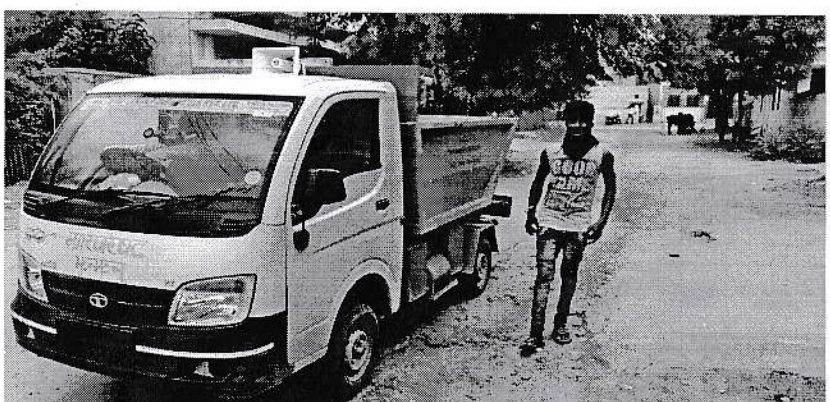

कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी –

कॉमन बायो मेडिकल बेस्ट ट्रिटमेन्ट फेसेलिटी झुन्झुनू, सीकर व चुरू जिले के लिए ट्रिटमेन्ट प्लान्ट लगाया जाना है। जिसके स्वायत शासन विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार आयुक्त नगर परिषद झुन्झुनू अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मुकुन्दगढ़ व मेनेजिग डायरेक्टर इस्ट्रोमेडिक्स (इण्डिया) प्रा.लि. के मध्य त्रिपक्षिय अनुबन्ध होना था। जिसमें नगर परिषद झुन्झुनू एवं मेनेजिग डायरेक्टर इस्ट्रोमेडिक्स (इण्डिया) प्रा.लि. द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये जा चुके है। नगर पालिका मुकुन्दगढ़ की साधारण सभा दिनांक 13. 01.2016 में भुमि आवंटन प्रस्ताव अस्वीकृत होने के कारण अभी तक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नही किये गये हैं। ग्राम देरवाला में भूमि आवंटन हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनूं को निवेदन किया गया हैं।

मुख्यमन्त्री जलस्वावलम्बन योजना :–

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में बढते पेयजल संकट से निपटने हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) चलाया गया है जिसके मुख्य उदेयय निम्न प्रकार है–

1. परम्परागत जल सरचनाओ (बावड़ी अदि) की जीर्णोद्वार नवीनीकरण/मरम्मत आदिकर उन्हे पुर्न जिवित कर क्रियाशील करना
2. वर्षाजल का उत्पादक उपयोग करना व जल संकट की आपात स्थिति मे वैकल्पिक जल श्रोत विकसित करना।
3. भूजल पुनर्भरण मे वृद्धि करना
4. पीने व घरेलू जल की मांग पूर्ति में संवर्धन करना
5. परम्परागंत जल सरचनाओ (बावड़ी, सागर आदि) के पुनः प्रवर्तन से सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियो को प्रोत्साहित करना।

6. शहरी क्षैत्र में वनीकरण कर पर्यावरण के अनुकुल मापदण्डो को बढावा देना
7. शहर में वृक्षारोपण एवं वनीकरण कर हरित क्षेत्र व परिदृश्य में वृद्धि करना
8. जल संग्रहण एवं संवर्ध हेतु आमजन में जागरूकता पैदा करना।

अभियान का कार्य क्षेत्र

राजकीय विभाग, स्वंयसेवी संस्थान, कॉपोरेट सोशियल रेस्पोन्सिब्लिटी (CSR), जनसहभागिता, स्थानीय जन प्रतिनिधि, नॉन रेजिडेन्ट सिटिजन्स क्लब (NRI Club), रेजीडेट्स वेलफेयर एसोसिएशन (ॅ।) इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त/उपलब्ध निधियों से जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य सम्पादित कर उपलब्ध जल का स्थाई समाधान किया जाना। प्रदेश के 190 शहरो में चरणबद्व रूप से प्राथमिकता कम अनुसार कार्य करवाये जाऐगे।

कार्य अवधि

- "मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान" की कार्य अवधि जून 2019 तक रहेगी।
- प्रथम चरण में नवम्बर, 2016 से प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य 30 जून, 2017 तक पूर्ण किए जाऐगे तथा जिन शहरों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख या अधिक है, उनमें ये कार्य (बावडी, राजकीय भवनो में रूफ टॉप रेनवाटर संरक्षण कार्य आदि को छोडकर) आगामी चरणो में भी चलेंगे। प्रथम चरण में चयनित शहर जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख या अधिक है मे बावडी, राजकीय भवनो में रूफ टॉप रेनवाटर संरक्षण कार्य आदि के जीर्णोद्वार/नवीनीकरण /मरम्मत कार्य 30 जून, 2017 तक पूर्ण किए जाऐगे। इसी प्रकार आगामी वर्षो में 30 जून, 2018 व 30 जून, 2019 तक सभी शहरों में कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। केवल विशेष परिस्थिति में ही जिला समिति की स्वीकृति पर आगामी वर्ष में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

स्वीकृत राशि के अनुरूप नगर कार्य निर्देशिका अथवा जिला समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा ही कार्य पूर्ण कराने की अवधि रहेगी।

एनयूएलएम योजना प्रगति रिपोर्ट :–

(1) वितिय वर्ष 2016–17 में इस योजना के स्व–रोजगार घटक अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण के टास्क फोर्स की बैठक में अनुमोदन उपरान्त 147 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये जिनमें से 19 ऋण स्वीकृत तथा 15 का ऋण वितरण किया जा चुका है।

(2) कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (EST&P) घटकः– इस घटक अन्तर्गत इस कार्यालय को 180 प्रशिक्षणार्थीयो के आवेदन पत्र प्राप्त हुये है। जिनमें से 25 आवेदन पत्र राजस्थान कौशल आजिवीका मिशन (RSLDC) झुन्झुनू को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं शेष लक्ष्य अर्जित किये जाने हेतु समाचार पत्रों में प्रेष विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमत्रित किये गये है तथा नगर परिषद स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। 25 प्रशिक्षणार्थियो का प्रशिक्षण कर चूके हैं।

(3) SM&ID घटक की प्रगतिः– इस घटक अन्तर्गत नगर परिषद स्तर पर नई संस्था का चयन कार्य प्रकियाधीन हैं।

(4) (SUH) उक्त योजना के अन्तर्गत 2 शेल्टरों का निर्माण कार्य करवाया जाना हैं। जिनमें से 1 का निर्माण पूर्ण हो चूका हैं एवं संचालित हैं। दुसरे आश्रय स्थल का निर्माण कार्य प्रकियाधीन हैं।

(5)(SUSV) उक्त घटक के अन्तर्गत 718 वेण्डर का सर्वे पूर्ण किया जा चूका हैं एवं स्ट्रीट वेण्डरर्स का चुनाव प्रकिया पूर्ण कर टीवीसी का गठन कर लिया गया हैं।

LED Light :-

6. शहरी क्षैत्र में वनीकरण कर पर्यावरण के अनुकुल मापदण्डो को बढावा देना
7. शहर में वृक्षारोपण एवं वनीकरण कर हरित क्षेत्र व परिदृश्य में वृद्धि करना
8. जल संग्रहण एवं संवर्ध हेतु आमजन में जागरूकता पैदा करना।

अभियान का कार्य क्षेत्र

राजकीय विभाग, स्वंयसेवी संस्थान, कॉपोरेट सोशियल रेस्पोन्सिब्लिटी (CSR), जनसहभागिता, स्थानीय जन प्रतिनिधि, नॉन रेजिडेन्ट सिटिजन्स क्लब (NRI Club), रेजीडेट्स वेलफेयर एसोसिएशन (ह।) इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त/उपलब्ध निधियों से जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य सम्पादित कर उपलब्ध जल का स्थाई समाधान किया जाना। प्रदेश के 190 शहरो में चरणबद्व रूप से प्राथमिकता क्रम अनुसार कार्य करवाये जाऐगे।

कार्य अवधि

- "मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान" की कार्य अवधि जून 2019 तक रहेगी।
- प्रथम चरण में नवम्बर, 2016 से प्रारम्भ किए जाने वाले कार्य 30 जून, 2017 तक पूर्ण किए जाऐगे तथा जिन शहरों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख या अधिक है, उनमें ये कार्य (बावडी, राजकीय भवनो में रूफ टॉप रेनवाटर संरक्षण कार्य आदि को छोडकर) आगामी चरणो में भी चलेंगे। प्रथम चरण में चयनित शहर जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख या अधिक है मे बावडी, राजकीय भवनो में रूफ टॉप रेनवाटर संरक्षण कार्य आदि के जीर्णोद्वार/नवीनीकरण /मरम्मत कार्य 30 जून, 2017 तक पूर्ण किए जाऐगे। इसी प्रकार आगामी वर्षो में 30 जून, 2018 व 30 जून, 2019 तक सभी शहरों में कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। केवल विशेष परिस्थिति में ही जिला समिति की स्वीकृति पर आगामी वर्ष में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

स्वीकृत राशि के अनुरूप नगर कार्य निर्देशिका अथवा जिला समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा ही कार्य पूर्ण कराने की अवधि रहेगी।

एनयूएलएम योजना प्रगति रिपोर्ट :–

(1) वितिय वर्ष 2016–17 में इस योजना के स्व–रोजगार घटक अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण के टास्क फोर्स की बैठक में अनुमोदन उपरान्त 147 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये जिनमें से 19 ऋण स्वीकृत तथा 15 का ऋण वितरण किया जा चुका है।

(2) कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (EST&P) घटकः– इस घटक अन्तर्गत इस कार्यालय को 180 प्रशिक्षणार्थीयो के आवेदन पत्र प्राप्त हुये है। जिनमें से 25 आवेदन पत्र राजस्थान कौशल आजिवीका मिशन (RSLDC) झुन्झुनू को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं शेष लक्ष्य अर्जित किये जाने हेतु समाचार पत्रों में प्रेष विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमत्रित किये गये है तथा नगर परिषद स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। 25 प्रशिक्षणार्थियो का प्रशिक्षण कर चूके हैं।

(3) SM&ID घटक की प्रगतिः– इस घटक अन्तर्गत नगर परिषद स्तर पर नई संस्था का चयन कार्य प्रकियाधीन हैं।

(4) (SUH) उक्त योजना के अन्तर्गत 2 शेल्टरों का निर्माण कार्य करवाया जाना हैं। जिनमें से 1 का निर्माण पूर्ण हो चूका हैं एवं संचालित हैं। दुसरे आश्रय स्थल का निर्माण कार्य प्रकियाधीन हैं।

(5)(SUSV) उक्त घटक के अन्तर्गत 718 वेण्डर का सर्वे पूर्ण किया जा चूका हैं एवं स्ट्रीट वेण्डरर्स का चुनाव प्रकिया पूर्ण कर टीवीसी का गठन कर लिया गया हैं।

LED Light :-

शहर की नालियों की साफ–सफाई एवं रोशनी के संबध में :–

झुन्झुनू शहर में एलईडी लगाये जाने हेतु एनर्जी एफिशियेंशी सर्विसेज लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा एमओयु दिनांक 10.04.2015 को किया जा चुका है। स्ट्रीट लाईट पोईटो का विवरण कम्पनी को भिजवाया जा चुका है। उक्त कम्पनी द्वारा शहर में लाईट लगवाने संबंधित सर्वे कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। आज दिनांक तक लगभग 8900 से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चूका हैं। मरम्मत का कार्य प्रकियाधीन हैं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में शहर की यातायात व्यवस्था को देखते हुए कतिपय स्थानों पर हाईमास्क लाईट शिफ्टींग का कार्य भी नगरपरिषद् द्वारा शीघ्र ही करवाया जायेगा। शहर के 45 वार्डों में 14 ऑटो टीपर से घर घर कचरा संग्रहण किया जा रहा हैं एवं 200 कचरा पात्र क्रय कर सार्वजनिक स्थलों पर 130 से अधिक कचरा पात्र रखवा दिये हैं आटो टीपर से संग्रहित कचरे को काम्पेक्टर के माध्यम से कचरा संग्रहण स्थल तक परिवहन किया जाता हैं। जिसको एक्सक्वेटर/लोडर से डम्प किया जाता हैं। वर्तमान में एक ऑटो स्वीपिंग मशीन एवं 6 चक्का लोडर कचरा परिवहन हेतु एवं एक वाहन अतिक्रमण दस्ता हेतु क्रय किया जाना प्रस्तावित हैं।

<u>डबल एन्ट्री सिस्टम</u> :– नगर परिषद झुन्झुनू का वर्ष 2015–16 का दोहरा लेखा पद्वति में रोकड़ बही संधारण का कार्य मैं. गुप्ता कनिका एण्ड एसोसियट्स जयपुर द्वारा किया जा रहा हैं जिसका सी.ए. अनिल अग्रवाल है तथा इसकी जांच हेतु मैं. जिमी मोदी सी.ए. के द्वारा किया जा रहा है।

<u>रिसोर्स मोबिलाईजेशनः–</u> ग्रह कर एवं नगरीय विकास कर की वसूली दिनांक 30.03.2016 तक 67.00 लाख की वसूली की जा चुकी है।

<u>स्मार्ट सिटी :–</u> स्मार्ट सिटी में झुन्झुनू शहर शामिल नहीं हैं वेवसाईट के निर्माण हेतु डाटा श्रीमान उपनिदेश क्षैत्रिय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को सूचना भिजवाई जा चुकी है।

<u>जी.आई.एस. मेपिंगः–</u> निल

<u>हाउसिग फार आलः–</u> कच्ची बस्ती नहीं है। पैरा–फेरी सीमा के अन्दर सिवायचक भूमि नगर परिषद को स्थानान्तरण करने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अफोर्डेबल हाउसिग योजना के तहत 1536 भूखण्डो की लोटरी निकाली जा चुकी है का 75 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 भूखण्ड धारीयो को भूखण्ड का कब्जा सम्भलवाया जा चुका है एवं जी.एस.एस. की स्वीकृति हेतु पत्रावली अजमेर अविविनिलि. को भिजवाई जा चुकी है।

<u>स्मार्ट राजः–</u> स्मार्ट राज योजना के तहत वेबसाईट के कन्टेन्ट अपलोड किये गये हैं शेष कार्य प्रक्रियाधीन है।

<u>वित्तीय प्रबन्धन –</u>

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
निजी आय	1446.61	1232.28	800.81	773.78	184.67
प्राप्त अनुदान	620.45	522.68	524.11	1280.39	70.64
चुंगी पेटे अनुदान	522.37	574.60	632.06	695.27	191.20
ऋण	–	–	200.00		

सम्पर्क सुत्र :–

क0	नाम	पद	दुरभाष नं0
1	श्री सुदेश अहलावत	सभापति	9928007525
2	श्री विनय पाल	आयुक्त	7792836100
3	श्री श्रवण कुमार	अधिशाषी अभियन्ता	9461055029
4	श्रीमती अनिता खीचड़	सचिव	9982047288
6	श्री अयुब अली	सहायक अभियन्ता	
7	श्री नवीन कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	9667813405
8	श्री अंकीत कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	9460036504

9	श्री प्रमोद कुमार	राजस्व अधिकारी –II	8502964101
10	श्री हेमन्त कुमार	कर निर्धारक	7597116908
11	श्री राजीव कुमार जानू	स्वच्छता निरीक्षक	9694700421
12	श्री बाबूलाल चन्देल	स्वच्छता निरीक्षक	9887344713
13	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	स.राजस्व नि.	9414083615
14	श्री राजवीर सिंह यादव	कार्यालय सहायक	9521075015
15	श्री मनोज चौधरी	लेखाअधिकारी	9610636724
16	श्री बनवारी लाल खारिया	व. लि.	9549871061
17	श्री के. एम. स्वामी	व. लि.	9314210025
18	श्री मनोज कुमार टेलर	व. लि.	9509470555
19	श्री मोहन लाल खारिया	व. लि.	8875771165
20	श्री रतनलाल वर्मा	व.लि.	9672252744
21	श्री सुलतान सिंह	क.लि.	9928401448
22	श्री उम्मेद सिहं	क. लि.	9460841545
23	श्री योगेन्द्र सिहं	फायर मैन	9414983073
24	श्री दयानन्द	फायर मैन	9983629705
25	राजेश चंदेलिया	क.लि.	9884871812
26	श्री सत्यप्रकाश	क.लि.	9694692535
27	श्रीमती सावत्री देवी	फायर मैन	8432001570
28	श्री हरफल सिह	पर्चा वि. सर्व.	9468827878
29	श्री सुशील कुमार	क.लि.	8432398550
30	श्री महावीर प्रसाद निर्वाण	पर्चा वि. सर्व.	9950420716
31	श्री विधाधर मील	वाहन चालक	9636661183
32	श्री देव करण सिहं	फायर मैन	9414800926
33	श्री फारुक अली	फायर मैन	9460229786
34	श्री दलीप सिहं	फायर मैन	9784038221
35	श्री रणवीर सिहं	फायर मैन	9828678554
36	श्री गोपीचन्द शर्मा	फायर मैन	9636661880
37	विरेन्द्र सिंह	फायर मैन	8094630685
38	महावीर सिंह	फायर मैन	9829356672
39	श्री भागीरथ मल सैनी	विधुत हैलपर फस्ट	9929121626
40	श्री घासीराम	फायर मैन	9024800840
41	श्री मनीराम बराड.	फायर मैन	982944477
42	श्री राकेश कुमार कापडी	च.श्रे.कर्म.	9982196415
43	श्री वासिद अली	च.श्रे.कर्म.	9001329697
44	श्री विनोद कुमार सैनी	च.श्रे.कर्म.	9024065317
45	श्री सुरजा राम	च.श्रे.कर्म.	9929514960
46	श्री रघुवीर सिहं	च.श्रे.कर्म.	9829389564
47	श्री अली हसन	च.श्रे.कर्म.	9829728030
48	श्री हरफूल	च.श्रे.कर्म.	9694282960
49	श्रीमति विमला देवी	च.श्रै. कर्मचारी	9680630173
50	श्री कमलेश कुमार	च.श्रे.कर्म.	9636435556
51	श्री अमर सिंह	बागवान	9571184768

52	श्री गोपीराम सैनी	चोकीदार	
53	श्री पूर्णाराम स्वामी	चोकीदार	9602877479
54	श्री गिरधारी लाल	क.लि.	9460361699
55	श्री रामचन्द्र	पटवारी	9983124734
56	श्री रामकुमार नूनिया	विधुत हेल्पर	9929967418

सफाई ठेकेदारों की सूचि

क.स.	नाम ठेकेदार	वार्ड सं.	मोबाईल नम्बर
1	श्री अरूण कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार सहा. उम्मेद	1,2,3	9928721467
2	श्री कानूराम पुत्र श्री बाबूलाल	4,5,6	9829643502
3	श्री कालुराम पुत्र श्री भगवानाराम सहा. गजानन्द	7,8,9	8769695152
4	श्री उम्मेद कुमार पुत्र श्री रूडाराम	10,11,12	9928721467
5	श्री अरूण कुमार पुत्र श्री राजेश सहा. पवन कुमार	13,14,15,16	9602195372
6	श्री अरूण कुमार पुत्र श्री राजेश सहा. पवन कुमार	17,18,19,20	9602195372
7	श्री मुकेश पुत्र श्री रामगोपाल	21,22,23	9587811899
8	श्री लक्ष्मण पुत्र श्री बिहारी लाल	24,25	9784856634
9	श्री लख्खन पुत्र श्री माणकचन्द	26,27,28,29	9928550245
10	श्री कालुराम पुत्र श्री भगवानाराम	30,31,32,33,34	7300404313
11	श्री श्यामलाल पुत्र श्री मुनीराज	35,36,37	9660526383
12	श्री कालुराम पुत्र श्री भगवानाराम सहा. आनन्द, विनोद, शुखचेन	38,39,40	7891904825 7734912380 9680804899
13	श्री रघुनाथ पुत्र श्री कन्हैयालाल	41,42	9929972239
14	श्री श्यामलाल पुत्र श्री मुनीराज	43,44,45	9660526383